न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रहलाद सिंह बनाम अमरसिंह वगैरा** **स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र** **मु.न. 53/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.07.2018	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 लगा0 09 की ओर से अशोक जोशी द्वारा यू.टी. दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 लगा0 09 द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय श्री अशोक त्यागी का स्थानान्तरण हो चुका हैं। इसलिए मिसल स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 लगा0 09 द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया गया है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचारधीन पत्रावली रामस्वरूप बनाम दिनेश वगैरा मु.न. 42/2016 अ.धारा 251 रा.का.अधि. को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official